सप्तदश माला, खंड 10, अंक 3 **मंगलवार, 2 फरवरी, 2021**

13 माघ, 1942 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

मनीश कुमार
उप निदेशक

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 10, पांचवां सत्र, 2021 / 1942 (शक)
अंक 3, मंगलवार, 2 फरवरी, 2021 / 13 माघ, 1942 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्न का मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1	13-15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 2 से 20	16
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 201 और 203 से 230	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था

अध्यक्ष द्वारा घोषणा 20

सभा पटल पर रखे गए पत्र 21-33

विधेयकों पर अनुमति 35-36

लोक लेखा समिति 37- 40

(i) 21वें से 23वां प्रतिवेदन 37

(ii) विवरण 38-40

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

9वें से 15वां प्रतिवेदन 41-42

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

226वें से 229वां प्रतिवेदन 43

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

121वें से 124वां प्रतिवेदन 45

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति

317वें से 322वां प्रतिवेदन 46-47

कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 48

नियम 377 के अधीन मामले 49-76

(एक) उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संडीला रेलवे स्टेशन से सटे समपारों पर रेल उपरि पुलों के निर्माण की आवश्यकता।

श्री अशोक कुमार रावत 49-50

(दो) पश्चिम बंगाल के झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता।

श्री कुनार हेम्ब्रम 51

(तीन) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीएमएफटी निधि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 52

(चार) देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता।

श्री गोपाल शेट्टी 53

(पाँच) बिहार के मांझी में रेल पुल के निर्माण कार्य और छपरा-वाराणसी रेल लाइन के दोहरीकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल 54

(छः) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को धन की समय पर अदायगी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता।

श्री चुन्नीलाल साहू 55

(सात) मध्य प्रदेश के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर मूलभूत सड़क सुविधाओं के बारे में।

श्री संतोष पान्डेय 56

(आठ) ऑनलाइन गेम्स और जुआखोरी को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता।

श्री जगदम्बिका पाल 57

(नौ) नर्मदा जिले के गांवों को ''ईको-सेंसीटीव'' जोन के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द किए जाने की आवश्यकता।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा 58

(दस) हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता।

श्री धर्मवीर सिंह 59

(ग्यारह) दौसा-गंगापुर रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती जसकौर मीना 60

(बारह) टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन तालाबों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 61

(तेरह) झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासियों के बारे में।

डॉ. निशिकांत दुबे 62

(चौदह) झारखंड में गैर-कानूनी खनन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता।

श्री जयंत सिन्हा 63

(पंद्रह) उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री हरीश द्विवेदी 64

(सोलह) कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बारे में।

श्री अब्दुल खालेक 65

(सत्रह) छत्तीसगढ़ के पिछड़े जिलों में टैक्स होलिडे एवं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता।

श्री दीपक बैज 66

(अट्ठारह) केरल के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ने वाले सेमी हाईस्पीड रेल लाइन कोरिडोर के बारे में।

श्री राजमोहन उन्नीथन 67

(उन्नीस) बहुभाषी सरकारी बेबसाइटों के निर्माण की आवश्यकता।

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन 68

(बीस) कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की आवश्यकता।

प्रो. सौगत राय 69

(इक्कीस) महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कॉटन यूनिवर्सिटी तथा कॉटन प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री संजय जाधव 70

(बाईस) बिहार में जहानाबाद शहर के पूर्वी छोर पर एक बाईपास रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री चंदेश्वर प्रसाद 71

(तेईस) ओडिशा राज्य को लंबित सब्सिडी की राशि की अदायगी और राज्य से पारबॉइल्ड चावल उठाए जाने के बारे में।

श्री भर्तृहरि महताब 72

(चौबीस) गन्ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता।

कुंवर दानिश अली 73

(पच्चीस) तेलंगाना में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरे जाने की आवश्यकता।

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी 74

(छब्बीस) राज्यों को जीएसटी मुआवजा राशि की अदायगी के बारे में।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले 75

(सत्ताईस) राष्ट्रीय आरोग्य नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता के बारे में।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील 76

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 79-83

श्रीमती लॉकेट चटर्जी

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 2 फरवरी, 2021 / 13 माघ,1942 (शक)

लोक सभा अपराह्न चार बजे समवेत हुई।

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आज बहुत जोश में दिख रहे हैं, क्या बात है?

…(<u>व्यवधान</u>)

<u>अपराह्न 4.01 बजे</u>

इस समय श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री टी.एन. प्रथापन, प्रो. सौगत राय, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

…(<u>व्यवधान</u>)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूँगा। आप सब अपनी-अपनी सीट पर। आप जिस विषय को उठाना चाहते हैं, मैं उस पर चर्चा करने का आपको मौका दूँगा। आप सीट पर वापस जाएं और क्वेश्चन ऑवर के बाद चर्चा शुरू करें।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीट पर जाएं। क्वेश्चन ऑवर सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह आपका अधिकार है। पिछली बार प्रश्नकाल नहीं हुआ था, तो आपने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए आपके आग्रह से इस कोविड के समय में भी मैंने प्रश्नकाल शुरू किया है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आपसे मेरा आग्रह है कि आप सभी अपनी-अपनी सीट पर विराजें। मैं आप सभी को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूँगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा करना चाहते हैं न? जाइए, क्वेश्चन ऑवर के बाद मैं चर्चा शुरू कराता हूँ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया ऐसा न करें। कृपया वापस जाएं।

…(व्यवधान)

अपराह्न 4.02 बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर[1]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नम्बर 1, श्री भोला सिंह जी।

…(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 1)

श्री भोला सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, वह बहुत ही अच्छा है। मैं इससे संतुष्ट हूँ। …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अम्फन तूफान के कारण भारत के सभी तटवर्ती राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी जान-माल का नुकसान हुआ, परन्तु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व में सभी राज्यों में एनडीआरएफ के माध्यम से उचित सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिसके फलस्वरूप इस दैवीय आपदा के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को काफी नियंत्रित किया जा सका है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि तूफान के कारण होने वाले नुकसान के पूर्वानुमान के लिए हमारी सरकार ने सदैव नूतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। क्या

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

सरकार इस सम्बन्ध में किसी स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप जिन तथ्यों को लेकर आए हैं, आज प्रश्नकाल में किसान कल्याण पर ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। अच्छा होगा कि सदन के अन्दर आपको जो अधिकार दिए गए हैं, यह काम आप प्रश्नकाल के माध्यम से प्रश्न पूछकर करें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ये तख्तियाँ दिखाने और नारेबाजी का काम आप सदन के बाहर करेंगे तो उचित रहेगा।

…(व्यवधान)

श्री नित्यानंद राय: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि अनुभव के आधार पर तथा भविष्यवाणी में एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से साइक्लोन और सुपर साइक्लोन के बाद की किसी भी स्थिति से निपटने में अपनी क्षमता में सुधार किया है। इसको इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि वर्ष 1999 के दौरान ओडिशा में आए सुपर साइक्लोन से 10 हजार लोगों की जानें गई थीं, जबकि इतनी ही तीव्रता वाले 'फेनी' साइक्लोन के समय केवल 65 लोगों की ही मौत हुई।…(व्यवधान)

चक्रवात की मॉनिटरिंग और चेतावनी प्रणाली की मौजूदा सुविधा बहुत ही एडवांस्ड है। मौसम विभाग विश्व में सक्रिय सर्वोत्तम भविष्यवाणी एजेंसियों में से एक है।…(व्यवधान) इसको विश्व मौसम संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, के द्वारा इस क्षेत्र में सभी इंडियन, ओशन-रिम कंट्रीज़ को चक्रवात संबंधी चेतावनी देने के लिए रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। …(व्यवधान) भारतीय मौसम विभाग भविष्यवाणी के लिए उसी क्षमता वाले मॉडल का प्रयोग करता है, जो संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी – नेशनल ओशनिक एट्मॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के पास है। …(व्यवधान)

चक्रवात की भविष्यवाणी में टैक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने के लिए भारतीय मौसम विभाग निरंतर नई पहलों को अपना रहा है और माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा में माननीय गृह मंत्री जी हमेशा इस

मिशन पर तत्पर रहकर इसकी निगरानी करते हैं और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करते हैं। …(व्यवधान) इस यूरोपियन टैक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने अनुभवों के आधार पर भारत आज दुनिया में इस क्षेत्र में सबसे आगे है और सुपर साइक्लोन या साइक्लोन से होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सका है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट्स पर जाएं और जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, मैं प्रश्न काल के बाद आपको चर्चा करने का मौका दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आज प्रश्न काल किसान कल्याण विषय पर है, जिस पर आप सदन में चर्चा कर सकते हैं। ये तख्तियां और नारे लगाने का काम आप सदन से बाहर करें तो उचित रहेगा।

…(व्यवधान)

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर[2]

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 से 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 201 और 203 से 230)

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही पांच बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

…(<u>व्यवधान</u>)

<u>अपराह्न 4.06 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न पांच बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न पांच बजे पुनः समवेत हुई

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए)*

…(<u>व्यवधान</u>)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं और आप वेल में आ रहे हैं। आप संसदीय नियमों और प्रक्रिया का पालन कीजिए। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, सारा देश देख रहा है कि हिंदुस्तान में किसान आज किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। अब तक लगभग 170 के आस-पास किसानों की जान इस आंदोलन में गई है।…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी: अध्यक्ष जी, हम यही चाहते हैं। आप सदन का बिजनेस शुरू करने से पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा शुरू कीजिए। बाकी कार्यवाही बाद में हो सकती है। आज किसानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उससे लगता है कि हम ब्रिटिश जमाने में पहुंच गए हैं।…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के समय आप इस विषय पर भी चर्चा कर सकते हैं। आप प्रश्न काल में भी इस विषय पर बोल सकते थे।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

<u>अपराह्न 5.03 बजे</u>

इस समय प्रो. सौगत राय, श्री एंटो एन्टोनी, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

———

<u>अपराह्न 5.03 ½ बजे</u>

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सूचित करना है कि संसदीय कार्य मंत्री से मुझे एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि वर्तमान कोविड-19 की स्थिति के कारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री को 17वीं लोक सभा के 5वें सत्र के दौरान कार्य सूची में सभा पटल पर रखे जाने वाले सूचीबद्ध किए गए पत्रों को सभी मंत्रियों की ओर से सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

अर्जुन मेघवाल जी, आइटम नम्बर-2 से 12 तक।

———

<u>अपराह्न 5.04 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2913/17/21))

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री मनसुख मांडविया की ओर से, मैं राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 36 की उप-धारा **(1)** के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय

शिक्षा एवं अनुसंधान (संशोधन) परिनियम, 2019 जो 27 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 355 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2914/17/21))

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री कृष्ण पाल की ओर से, मैं नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 100 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (संशोधन) नियम, 2020 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2915/17/21))

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) केंद्रीय भण्डारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2916/17/21))

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 559(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2917/17/21))

(3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित पिरदान) अधिनियम, 2016 की धारा 58 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1202(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2918/17/21))

(4) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2020, जो 16 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 564(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2020, जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 496(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2919/17/21))

(5) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 447(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 448(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) उपभोक्ता संरक्षण (सामान्य) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 449(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 450(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) प्रतिरूप नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 451(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती का तरीका, नियुक्ति की प्रक्रिया,पदावधि, त्यागपत्र और हटाया जाना) नियम, 2020, जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020, जो 23 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा.का.नि. 488 (अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 23 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 462(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(नौ) उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/सी.सी.पी.आर./एन.सी.डी.आर.सी./2020 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/एम.आर./एन.सी.डी.आर.सी./2020 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (कार्य का आवंटन और संचालन) विनियम, 2020, जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं.1-1/2020-सी.सी.पी.ए. में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2020, जो 24 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-105/ए.सी.आ.र./एन.सी.डी.आर.सी./2020 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गए। । देखिए संख्या एल.टी. 2920/17/21))

(6) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2921/17/21))

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री जी. किशन रेड्डी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव मूल्यवर्धित कर विनियम, 2005 (2005 का संख्यांक 2) की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. 3/132/एफ.डी./डी.एम.एन./2020/ई-156562 जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत यथाविहित कर दर को बहाल किया गया है, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2922/17/21))

(2) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय नियम, 2020, जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 803(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 3423 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस दिन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

(तीन) अधिसूचना सं. 230/1/20/2020-डब्ल्यूएस-तीन जो 1 अक्तूबर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय न्यायालयिक

विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के आरंभ होने की तारीख से डा. जयंतकुमार मगनलाल व्यास की राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2923/17/21))

(3) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नियम, 2020, जो 30 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 807(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 3422 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिस दिन राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

(तीन) अधिसूचना सं. 23011/93/2020-बीपीआरएण्डडी जो 1 अक्तूबर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से डा. बिमल पटेल को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति के बारे में है।

(चार) अधिसूचना सं. 23011/98/2020-बीपीआरएण्डडी जो 4 दिसम्बर, 2020 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के उसमें उल्लिखित शासी निकाय की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2924/17/21))

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री परषोत्तम रुपाला की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शीत-श्रंखला विकास केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2925/17/21))

(3) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2926/17/21))

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2927/17/21))

(ख) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2928/17/21))

(7) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2582 (अ), जो 4 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में नए कीटनाशक को सम्मिलित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2929/17/21))

(8) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2020 जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 953(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2020 जो 30 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1404(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवा संशोधन) आदेश, 2020 जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2390(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2930/17/21))

(9) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2931/17/21))

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1255 (अ), जो 13 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सोसाइटी के रूप में कापार्ट के विघटन तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में इसके विलय के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया,देखिए संख्या एल.टी. 2932/17/21)

(2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2309 (अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-दो में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो के पैरा 27 में "आम आदमी बीमा योजना" के स्थान पर "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" वाक्यांश शामिल करना है।

(दो) का.आ. 2198 (अ) जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-एक में कतिपय संशोधन किए गए हैं, जिनका आशय उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक के पैरा 4 में "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अभिसरण में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी घटक" के उपबंध को शामिल करना है।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2933/17/21)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री अनुराग ठाकुर की ओर से, मैं शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति – दिसम्बर, 2020 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई पर 35वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2934/17/21))

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री नित्यानंद राय की ओर से, मैं विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 जो 10 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 695 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धि-पत्र जो 11 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 17 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2935/17/21))

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री रतन लाल कटारिया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2936/17/21))

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रताप चंद्र षड्ङंगी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, कवरत्ती के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2937/17/21))

…(<u>व्यवधान</u>)

———

[हिंदी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य यदि किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। ...(व्यवधान) आज भी प्रश्न काल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी आग्रह किया था। यदि आज प्रश्नों पर चर्चा होती, तो मैं समझता हूं कि आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है।...(व्यवधान) यह सदन का समय बरबाद हो रहा है। हम सब इस बात को भली-भांति जानते हैं कि कोविड के समय में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है और तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आसन से व्यवस्था दी है कि यदि माननीय सदस्य सीट पर विराजेंगे, तो मैं माननीय अधीर रंजन जी को बोलने दूंगा। आप अपने नेता को बोलने दीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

<u>अपराह्न 05.05 बजे</u>

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 15 सितम्बर, 2020 को सभा को सूचित करने के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं। :-

(1) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020;

(2) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक,2020;

(3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020;

(4) मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020;

(5) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020;

(6) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2020;

(7) विनियोग (संख्याक 4) विधेयक, 2020;

(8) विनियोग (संख्याक 3) विधेयक, 2020;

(9) महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020; और

(10) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक 2020

मैं, संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 17 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) वायुयान (संशोधन) विधेयक,2020;

(2) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक,2020;

(3) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020;

(4) कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020;

(5) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020,

(6) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक,2020;

(7) जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020;

(8) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक,2020;

(9) कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020;

(10) अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020;

(11) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020;

(12) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020;

(13) विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020;

(14) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020;

(15) सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020;

(16) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 ; और

(17) बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

———————

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 14, 15, डॉ. सत्यपाल सिंह जी।

…(व्यवधान)

अपराह्न 05.05 ½ बजे

लोक लेखा समिति

(एक) 21वें से 23वां प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन **(**हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण**)** सभा पटल पर रखता हूं। …(व्यवधान)

[अनुवाद] (1) **"**खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन**"** के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(2) **"**आईसीएआर के लेखाओं की जांच**", "**निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्त न किया जाना**"** और **"**नारियल विकास बोर्ड की निधियों को अवरुद्ध करना**"** पर समिति के 110वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(3) **"**हल्के लड़ाकू विमान का अभिकल्प, विकास, विनिर्माण और शामिल करना**"** पर समिति के 114वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

[अनुवाद]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई--कार्रवाई प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखता हूं:-

1. "माल और सेवाओं की खरीद में अनियमितताएं, अस्तित्वहीन फर्मों को कार्य सौंपना, वैट प्रतिदाय की वसूली न होना और विभागीय प्रभारों का अधिक भुगतान" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

2. "कश्मीर रेल संपर्क" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

3. "सी.जी.एच.एस. में एलोपैथिक दवाओं की खरीद" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

4. "रेल वित्त" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन (16वींलोक सभा)।

5. "भारत के नियंत्रक-महालेखापरिक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणों को समय पर प्रस्तुत करने में मंत्रालयों द्वारा अनुपालन न करना" के बारे में की गई कार्रवाई संबंधी 58वां प्रतिवेदन (16वींलोक सभा)।

6. "अनुराग द्वारा अतिरिक्त परिहार्य व्यय" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 81वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

7. "भारत संचार निगम लिमिटेड में भूमि प्रबंधन" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 83वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

8. "सीमा शुल्क पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात व्यापार सुविधा का कार्य-निष्पादन" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 97वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

9. "रत्न और आर-श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 98वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

10. "भारत में आपदा के लिए तैयारी" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 102वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

11. "कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा और ईएसआईसी की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 115वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

12. "भारतीय रेल में पुलों का अनुरक्षण" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 119वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

13. "तनावग्रस्त परिसंपत्तियां स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ)" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 125वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

14. "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 126वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

15. "हाइड्रोकार्बन उत्पादन भागीदारी संविदाओं" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 130वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

16. "अनुदानों का अविवेकपूर्ण निर्गम" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 6वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

17. "भंडारों का प्रापण और इन्वेंट्री नियंत्रण" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

18. "पथकर शुल्क के उद्ग्रहण में विलंब के कारण राजस्व हानि" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

19. "सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू.एस.ओ.) निधि के प्रशासन" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

20. "निर्यात अवसंरचना विकास और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.) योजना" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

21. "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 68वांप्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

22. "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 69वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

23. "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2008-09) से अधिक व्यय" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 70वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

24. "कैंटीन स्टोर विभाग" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 75वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

25. "भारतीय वायु सेना में पायलटों का प्रशिक्षण" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 76वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

26. "भूमि और विकास कार्यालय के कार्यकरण" के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 78वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा लोक सभा)।

———————

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 16, श्री राकेश सिंह जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

अपराह्न 5.07 बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

9वें से 15वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। …(व्यवधान)

(1) खान मंत्रालय से संबंधित "जिला खनिज फाउंडेशन तथा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन" के बारे में 47वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(3) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(4) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(5) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(6) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(7) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 17, श्री दयानिधि मारन जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

<u>अपराह्न 05.07 ¼ बजे</u>

<u>गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति</u>

226वें से 229वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन (चेन्नई सेंट्रल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2020-21) के बारे में 224वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 226वां प्रतिवेदन।
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2020-21) के बारे में 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 227वां प्रतिवेदन।
3. दिल्ली में यातायात की बिगड़ती हुई स्थिति के प्रबंधन के बारे में 226वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 228वां प्रतिवेदन।
4. कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और उससे संबंधित मुद्दों संबंधी 229वां प्रतिवेदन।

———————

* ये प्रतिवेदन 21 दिसम्बर, 2020 को राज्य सभा के माननीय सभापति को 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' के माध्यम से वर्चुअल रूप से प्रस्तुत किए गए और उसी दिन माननीय लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित किए गए।

…(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप इतनी जोर से नारे लगा रहे हैं। आप अगर अपनी सीट पर जाकर बोलेंगे तो मैं आपकी बात को सुनूंगा। यह सदन वाद-विवाद और चर्चा के लिए है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी सीटों पर जाइए और चर्चा करिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

अपराह्न 5.07 ½ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

121वें से 124वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के कार्यकरण के बारे में समिति के 110वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 121वां प्रतिवेदन।

2. आयुष मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2020-21) (मांग सं. 4) के बारे में समिति के 120वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 122वां प्रतिवेदन।

3. कोविड-19 महामारी का प्रकोप और उसका प्रबंधन संबंधी 123वां प्रतिवेदन।

4. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2020-21 (मांग सं. 43) के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 124वां प्रतिवेदन।

———————

…(*व्यवधान*)

* ये प्रतिवेदन 21 नवम्बर, 2020 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए और 25 नवम्बर, 2020 को लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित किए गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 19, श्री विष्णु दत्त शर्मा।

…(<u>व्यवधान</u>)

<u>अपराह्न 5.08 बजे</u>

<u>शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति</u>

317वें से 322वां प्रतिवेदन

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **…(<u>व्यवधान</u>)**

(1) *ओलम्पिक खेल, 2021 के लिए तैयारी के संबंध में तीन सौ सत्रहवां प्रतिवेदन।

(2) *खेलो इंडिया योजना के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 311वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ अठारहवां प्रतिवेदन।

(3) *युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(4) *स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 312वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ बीसवां प्रतिवेदन।

---

* ये प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश 30(एक) के अन्तर्गत 24 दिसंबर, 2020 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए, और माननीय सभापति ने निदेश 30(दो) के अन्तर्गत इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन और परिचालन के आदेश दिए। ये प्रतिवेदन उसी दिन लोकसभा सचिवालय को भी अग्रेषित किए गए।

(5) *महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 314वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(6) *उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 313वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण संबंधी तीन सौ बाईसवां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 05.08 ½ बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति के 18वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि यह सभा 1 फरवरी, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> “कि यह सभा 1 फरवरी, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

…(<u>व्यवधान</u>)

अपराह्न 5.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम-377 के अधीन मामलों को सभापटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम-377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई थी और यदि वे उनको सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, तो 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से सभापटल पर रख सकते हैं।

…(व्यवधान)

(एक) उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संडीला रेलवे स्टेशन से सटे समपारों पर रेल उपरि पुलों के निर्माण की आवश्यकता ।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद हरदोई में संडीला रेलवे स्टेशन से सटे तीन समपारों यानी 247, 248 और 249 का यातायात घनत्व एक लाख से अधिक वाहन इकाई (टी.वी.यू.) से अधिक है और ये सभी एलसी को रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) से प्रतिस्थापित करने के लिए योग्य हैं, से संबंधित प्रकरण को मैं प्रश्न एवं नियम 377 के अधीन सदन में उठा चुका हूँ।

इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा मुझे जानकारी भिजवाई गई थी कि राज्य सरकार से लागत भागीदारी और समपार बंद करने के लिए आवश्यक सहमति के साथ इन स्थानों पर आरओबी के निर्माण के लिए औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सम्पर्क किया गया है और मुख्य सचिव स्तर पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

नियमित रूप से सम्पर्क करने के बावजूद राज्य सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण रेलवे राज्य सरकार की सहमति के बिना कोई भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि सण्डीला रेलवे स्टेशन पर उपरगामी सेतु के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, अनुभाग: ॥, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 माहप्रबंधक, उत्तर रेलवे नई दिल्ली को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उक्त रेल उपरगामी सेतु को रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए रेल उपरगामी सेतु के निर्माण हेतु रेलवे की सहमति एवं लागत में सहभागिता के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराया जाए।

अत: अनुरोध है कि अब जबकि राज्य सरकर द्वारा उक्त रेल उपरगामी सेतु के निर्माण हेतु समस्त ओपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है, इसलिए अब इसके निर्माण में और अधिक विलम्ब न करते हुए उक्त रेल परगामी सेतु को रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित कराए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करके रेलवे की सहमति एवं लागत में सहभागिता के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराते हुए निर्माण संबंधी कार्य को शीघ्र कराए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाए।

(दो) पश्चिम बंगाल के झारग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेय जल की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता ।

श्री कुनार हेम्ब्रम (झाडग्राम): मेरे संसदीय क्षेत्र झाडग्राम में पेय जल की समस्या गंभीर होती जा रही है। स्थानीय और जिला प्रशासन के प्रयासों से झाडग्राम से कई किलोमीटर दूर लोगों तक टैंकरों से पीने का पानी पहुंचाया जाता है। दैनंदिन घरेलू उपयोग और मवेशियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने उस क्षेत्र का कई बार दौरा किया हैं और स्थानीय लोगों से समस्या से अवगत हुआ । मेरे संसदीय क्षेत्र के शिलदा मंडल के कालियम में एक विशाल प्राकृतिक जलाधार है। जिसका पानी घरेलू, खेती और मवेशियों के उपयोग में किया जा सकता है। इस विशाल जलाधार के पानी को वाटर प्यूरिफिकेशन के माध्यम से पाइप लाइन द्वारा घर घर तक नल के जरिये आपूर्ति की जा सकती है। अतः जलशक्ति मंत्रालय से मेरा निवेदन है कि इस विषय पर गंभीरता से समस्या को हल करने का उचित कदम उठायें।

(तीन) राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीएमएफटी निधि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता ।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में डीएमएफटी फण्ड में सैंकड़ों करोड़ रुपये पड़े हैं, परन्तु यह राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों में आमजन के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए खर्च नहीं की जा रही है। राज्य सरकार कानून बनाकर आधी राशि राज्य सरकार के खजाने में डाल रही है जो कि भीलवाड़ा जिले की जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि खनन के कारण हो रहे प्रदूषण से उनके जन जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और राशि राज्य सरकार दूसरी जगह लगाना चाहती है।

पाँच सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जो हर वर्ष बढ़ रही है, परंतु खर्च नहीं हो रही है, जबकि जिले में शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर बहुत काम बाकी है। गाँवों में अधिकांश विद्यालयों में जहाँ 10 कक्षाएँ चलती हैं, परंतु कक्षा कक्ष तीन ही हैं, ऐसी स्थितियाँ अस्पतालों की भी है। डीएमएफटी की राशि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारभूत ढाँचे के विकास में खर्च की जाये।

(चार) देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता ।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में वर्ल्ड बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की वर्ष 2019-20 की सूची में भारत की रैंकिंग में 14 पायदान का सुधार हुआ है तथा केंद्र सरकार कोरोना जैसी भयंकर महामारी के चलते देश की आर्थिक स्थिति को पुनः पटरी पर लाने हेतु अनेक सकारात्मक कदम उठा रही है। अतः देश में कोरोना की वजह से विकास की गति जो शिथिल हो गई है, उसको तीव्रता प्रदान करने हेतु सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करके एक विश्वासदायी माहौल देश में खड़ा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे देश के विकास के कार्य में पुनः तेजी आ सके।

(पांच) बिहार के मांझी में रेल पुल के निर्माण कार्य और छपरा-वाराणसी रेल लाइन के दोहरीकरण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मैं रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के छपरा और बलिया रेलखंड में मांझी में बन रहे नए रेल पुल की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह रेल खंड बिहार और उत्तर प्रदेश को रेल यातायात से जोड़ने वाला अतिमहत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस खंड के रेल पथ का दोहरीकरण भी हो रहा है लेकिन उक्त नए रेल पुल एवं रेल पथ के दोहरीकरण का कार्य अत्यंत ही धीमी गति से हो रहा है बल्कि हम कह सकते हैं कि निर्माण कार्य रुक सा गया है। विदित हो कि मांझी मेरी संसदीय क्षेत्र एवं बिहार राज्य का पुरातात्विक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन और धार्मिक स्थल है। इस स्थल पर पर्यटकीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से रेल मार्ग से यातायात कर आवागमन करना पर्यटकों एवं अन्य यात्रियों के लिए उक्त रेल से आना ही सुविधाजनक है।

अत: उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उपर्युक्त रेल खंड पर मांझी में बन रहे नए रेल पुल का निर्माण कार्य तीव्र गति से करने तथा छपरा-वाराणसी रेल पथ निर्माण कार्य का भी दोहरीकरण जल्द से जल्द करवा कर चालू कराया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ देश की जनता को भी इसका लाभ मिले।

(छह) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को धन की समय पर अदायगी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को नया मकान बनाने हेतु सर्वे सूची अनुसार चिन्हित किया गया है वे हितग्राही इस योजना में अपने पुराने मकान तोड़कर या नए स्थान में मकान बना रहे हैं। एक से दो किश्त पश्चात राज्य सरकार द्वारा अपने मद की राशि (किश्तों) का भुगतान समय पर नहीं करने के कारण 40 से 50% मकान आधे-अधूरे व्यवस्था में हैं। हितग्राहियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने पर राशि न होने की बात कहकर बैरंग वापस कर दिया जाता है। हितग्राही मकान न होने की दशा में प्लास्टिक या घास की झोपड़ी बनाकर अन्यत्र निकासित वर्षा, सर्दी और गर्मी की कठिनाइयों से गुजरता हुआ सपरिवार ठगा सा महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा योजना की राशि तो दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मद की राशि को समय पर नहीं देने के कारण अधिकतम हितग्राहियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: सरकार से मेरी गुजारिश है कि अपूर्ण मकानों हेतु राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाए।

(सात) मध्य प्रदेश के राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 पर मूलभूत सड़क सुविधाओं के बारे में ।

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): मेरे संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव शहर के बीचो बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 जी.ई. रोड गुजरती है जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन ठाकुरटोला टोल प्लाजा निर्मित है। जहाँ 82 कि.मी. लम्बी सड़क के लिए टोल की वसूली की जाती है । रोड में मूलभूत सुविधाओ का आभाव है जिसके कारण निरंतर सड़क दुर्घटनाए होती रहती है। रोड के दोनों तरफ स्थित ग्राम टेड़ेसरा ग्राम देवादा के मुख्य चौक में हाई मास्क लाइट का आभाव है जिसके कारण दुर्घटनाए होती रहती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पार्री पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्घटना जन्य मोड़ के रूप में चिन्हित हो चुका है । जहाँ शहर के राम मंदिर से लेकर ग्राम पार्री मोड़ तक सर्विस रोड की मांग निरंतर की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर के अन्दर नव निर्मित मेडिकल कॉलेज भवन के मोड़ पर पासिंग नहीं होने के कारण मरीजो को लगभग 3 कि मी उलटे रास्ते से जाना पड़ता है जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तत्संबंध में मेरे द्वारा मुख्यप्रबंधक एन.एच.ए.आई. क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में तीन बार पत्र (1) क्र 1159 दिनांक 12.01.2020 (2)क्र 1187 दिनांक 11.02.2020 (3)क्र 1801 दिनांक 03.01.2021 प्रेषित किये गए हैं, एक बार माननीय मंत्री जी का ध्यान पत्र क्र. 1802 दिनांक 03.01.2021 के माध्यम से आकृष्ट किया गया है। मेडिकल कॉलेज के समीप ही महाराणा प्रताप भवन निर्मित है जहाँ क्षेत्रीय समाज की निरंतर गतिविधि तथा जुलूस व सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज में डिवाइडर तोड़ कर क्रासिंग देना अपरिहार्य है ।

(आठ) ऑनलाइन गेम्स और गैम्बलिंग को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : भारत का युवा बहुत ही प्रतिभावान है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से यह युवा पबजी और टिकटॉक जैके नकारात्मक एप्स के चंगुल में फंसता जा रहा है। इनका उपयोग नशे की लत के बराबर माना जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने गेमिंग एडिक्शन को डिसॉर्डर यानी कि विकार के रूप में अनुसूचित किया है। और तो और आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से गेमिंग (खेल) और गैम्बलिंग (जुआ) के बीच का फर्क बहुत ही धूमिल होता जा रहा है। आजकल कई एप्स ऐसे गेम्स और फीचर्स जोड़ रहे हैं, जिससे व्यक्ति उस एप पर ज्यादा समय बिताए। देश में कई ऐसे नए-नए प्रकार के एप्स आ रहे हैं, जो नागरिकों को, खासकर कि युवाओं को जल्द पैसा बना लेने के लालच से आकर्षित करने की कोशिश में रहते हैं और कई हद तक सक्षम भी रहे हैं। यह देश के युवा को खेल के भेष में जुए की लत में डाल रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ-साथ गेमिंग और गैम्बलिंग के लिए भी आवश्यक नियम जारी करे।

(नौ) नर्मदा जिले के गांवों को ''ईको-सेंसीटीव'' जोन के रूप में घोषित करने वाली अधिसूचना को रद्द किए जाने की आवश्यकता ।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): गुजरात के मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत नर्मदा जिले में अधिसंख्य आदिवासी लोग निवास करते हैं तथा अपनी आजीविका के लिए ये लोग वनोपजों के साथ ही पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। नर्मदा जिले के कुल 121 गांवों को भारत के राजपत्र के माध्यम से "इको-सेंसिटिव जोन" में शामिल किया गया है। "इको-सेंसिटिव जोन" के तहत उपरोक्त गांवों में किसानों की विधिक मालिकाना हकवाली जमीनों में सरकारी लोगों ने दखल देना शुरू कर दिया है। "इको-सेंसिटिव जोन" में शामिल उपरोक्त गांवों में सीधे सरकारी दखल के चलते आदिवासियों की आर्थिक गतिविधियाँ निषिद्ध होने के साथ ही उनके सामाजिक विकास और आजीविका के नुकसान होने का खतरा है। देश का यह वंचित वर्ग सरकार से अपने जंगल और जमीन से छेड़छाड़ किए बिना अपने कल्याण परक विकास की अपेक्षा रखता है। नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आस-पास के क्षेत्र के साथ ही तेजी से विकसित हो रहे मालसामोठ आदि क्षेत्रों को भी "इको'सेंसिटिव जोन" के दायरे से तत्काल मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि आदिवासी बाहुल्य नर्मदा जिले में शांति और विकास के लिए "इको-सेंसिटिव जोन" की अधिसूचना को तत्काल रद्द करवाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

(दस) हरियाणा के भिवानी–महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता ।

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): ट्रेन संख्या 02993-94 चैतक सुपर फास्ट ट्रैन का स्थाई ठहराव अटेली मे किया जाए। जनता की मांग पर रोहतक से जयपुर वाया अटेली और नारनौल, हिसार से जयपुर वाया अटेली और नारनौल, दिल्ली से जयपुर वाया अटेली और नारनौल, सीकर से रेवाडी वाया अटेली और नारनौल नई डी.एम.यू. ट्रेन चलाई जाए। लोहारु से भिवानी नई ट्रेन को चलाया जाए। दिल्ली से भिवानी-दादरी ट्रेन चलाई जाए।

(ग्यारह) दौसा–गंगापुर रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता ।

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): दौसा-गंगापुर रेल परियोजना 1998 में स्वीकृत हुई थी। यह परियोजना 21 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो पाई है। 92 किलोमीटर रेल लाइन बनाने में इतना विलम्ब होने से जनता का धैर्य भी जवाब देने लगा है। इस पर बने अंडरपास जल निकास की कमी के कारण जन हानि का कारण बन रहे हैं। इन सभी को टिन शेड से ढका जाना आवश्यक है। रेलवे के विस्तार पर हमारी सरकार का ध्यान है। अत: इस रेलवे लाइन को गंगापुर सिटी के आगे करौली व धौलपुर से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। करौली धार्मिक नगर के साथ-साथ लाल पत्थर का बड़ा क्षेत्र है। जिस पत्थर से ऐतिहासिक लाल किला व हमारी संसद का भवन बना हुआ है। डांग क्षेत्र की पिछड़ी जनता को भी रेल यातायात मुहैया होगी और माँ कैला देवी के दर्शनार्थी भी इसका लाभ उठाएंगे।

(बारह) टीकमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन तालाबों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): बुन्देलखण्ड क्षेत्र अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र के टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में प्राचीन समय में शासकों के द्वारा 1100 से अधिक चंदेलकालीन तालाबों का निर्माण कराया गया था। इन तालाबों का निर्माण लगभग 9वीं से 12वीं सदी के बीच चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया और ये सभी तालाब चंदेल राजाओं की तकनीकी सूझबूझ के अद्वितीय उदाहरण हैं। ये चंदेलकालीन तालाब बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पारंपरिक धरोहर हैं। इन तालाबों को बनाते समय यह ध्यान में रखा गया कि बारिश के पानी की एक-एक बूंद को संग्रहित किया जा सके। इनमें कैचमेंट एरिया और कमांड का बेहतरीन तालमेल निर्धारित किया गया था। किन्तु इन तालाबों को पर्याप्त संरक्षण न मिलने के कारण वर्तमान कुछ चंदेलकालीन तालाब ही शेष बचे हैं। अधिकांश तालाब अतिक्रमण की चपेट में आकर समाप्त हो चुके हैं। इन शेष बचे तालाबों के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर संरक्षण देने की आवश्यकता है।

वर्तमान में जलशक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत "कैच द रेन" अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इसी दिशा में कार्य करते हुए टीकमगढ़ के चंदेलकालीन तालाबों को संरक्षण प्रदान किया जाए, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में वर्षा के जल को इन तालाबों में संग्रहित किया जा सके। इन तालाबों में जल भराव से न केवल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, बल्कि भूमि की नमी और भू-जल स्तर में भी वृद्धि होगी। साथ ही आपसे अनुरोध है कि बुन्देलखंड में बने इन तालाबों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए चंदेल काल में जो पद्धति अपनाई गई थी उसके अनुसार एवं टीकमगढ़ जिले में बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत चल रही नदी तालाब जोड़ो योजना (हरपुरा - बीयर), जिसके पहले चरण में 11 तालाबों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई थी, जिससे कि सिंचाई के लिए और निस्तार के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होनी थी, जिसका कार्य रूका हुआ है, इस योजना का पुनरीक्षण करवाकर इसे पूर्णता की ओर ले जाना आवश्यक है।

(तेरह) झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासियों के बारे में।

[अनुवाद]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं खेतौरी, घटवाल-घटवार और अन्य को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के संबंध में नियम 377 के तहत संसद में उठाए गए मामले का उल्लेख करना चाहता हूं तथा मुझे इस पर माननीय जनजातीय मामलों के मंत्री से उत्तर प्राप्त हुआ है। लेकिन, इसके चलते इस संबंध में अब तक कोई उन्नति नहीं हुई है।

मैं, एक ऐतिहासिक अभिलेख रखना चाहता हूँ जोकि आर. कार्सटेयर्स द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसका शीर्षक है: "द लिटिल वर्ल्ड ऑफ एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर", जिसे लंदन की मैकमिलन एंड कंपनी द्वारा 1912 में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में इस तथ्य का एक विस्तृत, ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है कि वर्ष 1855 में संथाल परगना का सृजन किया गया था और इसका नाम रखा गया था, और इस प्रकार यह बंगाल का सबसे नवीनतम जिला था। लेखक, घाटवालों (दर्रों के संरक्षक) और खेतौरी (खेतौरी) का एक अद्भुत विवरण प्रदान करते हैं और बताते हैं कि कैसे 1790 में स्थायी बंदोबस्त के समय इस क्षेत्र के हर हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। इसमें कहा गया है कि स्थायी बंदोबस्त के समय इस पूरे क्षेत्र में एक भी संथाल नहीं था। "भुंया, खेतोवरी, हिंदू, मुसलमान, पर्वतारोही – सब मौजूद थे परंतु संथाल, नहीं"।

यह एक तथ्य है कि जब इन निष्कर्षों को दर्ज किया गया था और जब यह विचाराधीन पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तब अनुसूचित जाति और जनजाति की अवधारणा उस संदर्भ में मौजूद नहीं थी जो उसका प्रशासनिक अर्थ आज है।

इस प्रकार, क्षेत्र के आदिवासी अपने अधिकारों से वंचित हैं और अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करने का दावा करते हैं।

(चौदह) झारखंड में गैर-कानूनी खनन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता ।

श्री जयंत सिन्हा (हज़ारीबाग): झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम, 2017 में डीलरों के पंजीकरण, परिवहन चालान और नियमों के उल्लंघन के मामले में कड़े दंड का प्रावधान है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इन नियमों को लागू न कर पाने के कारण बिना किसी रोक-टोक गैर-क़ानूनी खनन हो रहा है। हाल ही में कोडरमा जिले में गैर-क़ानूनी खनन की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा, गवई और दामोदर नदियों से लगातार गैर-कानूनी रेत खनन की घटनाएं राज्य तंत्र की विफलता को ओर इशारा करती हैं। यह घटनाएं मानसून के मौसम में हुई जब क्षेत्र की पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा रेत खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था । इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं सरकार का ध्यान, राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्थिति, जिसमें पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ने के साथ-साथ जीवन और संसाधनों की भी हानि हुई है, से निपटने में उसकी अक्षमता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

(पंद्रह) उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स का निर्माण किए जाने की आवश्यकता ।

[हिन्दी]

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती, उत्तर प्रदेश मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ हैं, इन्ही में से एक खेलों के लिए उच्चस्तरीय सुविधा का ना होना है।

यहां खेलों के प्रति युवाओं में उत्साह पूर्व से रहा है। इस क्षेत्र ने कई राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देश को दिए हैं किंतु खेद का विषय यह है कि यहां पर खेलों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का अभाव होने के कारण खिलाड़ियों को या तो अन्य बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है या तो खेल क्षेत्र को ही छोड़ना पड़ता हैं। अतः सरकार से निवेदन है उपरोक्त विषय को दृष्टिगत रखते हुये मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती, उत्तर प्रदेश में एक इंडोर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाये।

(सोलह) कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बारे में ।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): पिछले वर्ष सभा में उचित परामर्श और चर्चा किए बिना जल्दबाजी में पारित किए गए कृषि कानूनों को सरकार द्वारा व्यापक सुधार का नाम दिया गया है, लेकिन देश भर में विरोध कर रहे किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इस विधेयक में, एमएसपी को शामिल नहीं किया गया है तथा इसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है और ऐसे कई मुद्दों ने किसानों को असुरक्षित महसूस करने पर मजबूर कर दिया है। किसानों के हितों की अनदेखी की गई है। यह विधेयक कॉरपोरेट जगत के पक्ष में है और यह किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाता है। सरकार ने इस पर अब तक कड़ा रुख बरकरार रखा है, हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। देश को भोजन उपलब्ध कराने वाले किसानों को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि उनके लिए क्या उपयुक्त है। वे इतने ठंड के मौसम में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इस दौरान कई लोगों की जान चली गई। मैं, विरोध प्रदर्शन के दौरान मृतक व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं मांग करता हूं कि सरकार इन कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करे।

(सत्रह) छत्तीसगढ़ के पिछड़े जिलों में टैक्स होलिडे एवं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिए जाने की आवश्यकता ।

[हिन्दी]

श्री दीपक बैज (बस्तर): केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर के कई राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला एवं उत्तराखण्ड में टैक्स होलिडे के तहत कर एवं जीएसटी में छूट और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देकर उद्योग-धंधे, व्यापार एवं निवेश हेतु प्रोत्साहन देती है। इससे टैक्स होलिडे और ट्रांस्पोर्ट सब्सिडी वाले क्षेत्रों का तेजी से विकास होता है और स्थानीय लोगों को रोज़गार के बेहतर अवसर मिलते हैं। प्राकृतिक संपदा से भरपूर चार राज्यों से घिरा छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित पहाड़ी, आदिवासी क्षेत्र बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा व बीजापुर अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। कोरोना एवं लॉकडाउन के बाद इस क्षेत्र में निवेश हेतु टैक्स होलिडे और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने से क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। मेरी मांग है कि सरकार इस क्षेत्र में टैक्स होलिडे एवं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देकर उद्योग-धंधे, व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे, इससे क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

(अठारह) केरल के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ने वाले सेमी हाईस्पीड रेल लाइन कोरिडोर के बारे में ।

[अनुवाद]

श्री राजमोहन उन्नीथन (कासरगोड): केरल के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ने वाले सेमी हाईस्पीड रेल लाइन कोरिडोर (सिल्वर लाइन), 'के-रेल' की प्रमुख परियोजना है, जो केरल सरकार और रेलवे मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है जिसे केरल में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए डिज़ाइन किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस लाइन के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित लागत 66,000 करोड़ रुपये है। यह परियोजना आर्थिक रूप से अव्यवहार्य है क्योंकि इसमें 20,000 परिवारों का विस्थापन होगा और इसके विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। रेलवे बोर्ड ने अभी तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है। इसलिए, इस परियोजना को मौजूदा तटीय रेखा पर दो-स्तरीय फ्लाई-ओवर परियोजना के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। पहला स्तर 8-लाइन वाली सड़क और दूसरा स्तर 'टू-लाइनर' सेमी हाई स्पीड रेल लाइन होना चाहिए। वर्तमान परियोजना की तुलना में इसकी लागत बहुत कम होगी और इससे किसी को बेदखल नहीं करना पड़ेगा और कोई नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव भी नहीं होंगे। भविष्य में, इस लाइन को मुंबई और विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों तक बढ़ाया जा सकता है।

(उन्नीस) बहुभाषी सरकारी बेबसाइटों के निर्माण की आवश्यकता।

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन (चेन्नई दक्षिण): मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइटों के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रसारित की जाती है, दुर्भाग्य से देश के अधिकांश लोगों को उसे पढ़ने और समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता हैं क्योंकि ये वेबसाइटें केवल हिन्दी या अंग्रेजी में ही डिज़ाइन की गई हैं। यह संविधान में अंतनिर्हित लोगों के मौलिक अधिकारों के विरूद्ध है और आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के मूल प्रयोजनों का भी विफल करता है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को उनकी योजनाओं, नीतियों, प्रगति और उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो।

ऐसा करने के लिए, सभी सरकारी वेबसाइटों को बहुभाषी बनाया जाना चाहिए, इन्हें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली में डिज़ाइन कर चलाया जाना चाहिए ताकि सभी लोग इन दस्तावेजों को पढ़ और समझ सकें। इसलिए, मैं सरकार से भाषा के संबंध में समानता का पालन करने और सभी मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइटों में जानकारी और विषयवस्तु तमिल और अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराने का आग्रह करती हूं।

(बीस) कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की आवश्यकता ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): दिनांक 26 जनवरी 1950 को भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाए जाने के बाद से लेकर पहली बार दिल्ली में दो परेड होंगी। एक सरकार द्वारा अधिकरिक परेड और दूसरी हमारे देश के किसानों की परेड। यह ट्रैक्टरों की परेड थी जिसमें गुस्साए किसान और उनके परिवार शामिल थे। किसानों की परेड का कारण कथित तौर पर सरकार द्वारा लोगों की बात सुनने से इंकार करना था। किसान अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री को उन्हें अवश्य सुनना चाहिए। इस स्पष्ट विरोधाभास का वास्तविक कारण यह है कि मोदी सरकार को अहंकारी और अपमान करने वाला माना जा रहा है। जब किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर घेराबंदी शुरू की, तो वरिष्ठ मंत्रियों की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि उन पर खालिस्तानी और 'राष्ट्र-विरोधी' होने का आरोप लगाया गया था।

मैं, सरकार से देश की खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ करोड़ों किसानों और हमारे कृषि क्षेत्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए कृषि कानूनों को रद्द करने का आग्रह करता हूं।

(इक्कीस) महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कॉटन यूनिवर्सिटी तथा कॉटन प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की आवश्यकता ।

[हिन्दी]

श्री संजय जाधव (परभणी): महाराष्ट्र का मराठवाडा क्षेत्र कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां के किसानों की जीविका चलाने का मुख्य साधन कपास उत्पादन है। कपास की खेती कर किसान अपने परिवार का भरण-पोषण और अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। कपास से रूई निकाल कर कपड़े भी बनाये जाते हैं, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री नहीं होने के कारण यहां के कपास किसानों को तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफी लागत आती है और कोई लाभ नहीं होता है। यदि मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी में कॉटन यूनिवर्सिटी तथा कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री का निर्माण होता है तो यहां के किसानों को कॉटन निर्माण के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उनका खर्च भी बचेगा और वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे। क्षेत्रीय जनता को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, बेरोजगारी दूर होगी, इसके साथ ही राज्य एवं केन्द्र सरकार को अच्छा राजस्व भी मिलेगा।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र परभणी (महाराष्ट्र) में कॉटन यूनिवर्सिटी तथा कॉटन प्रोसेस इंडस्ट्री को स्थापित करने की कृपा करें, जिससे कि किसानों को फायदा मिल सके।

(बाईस) बिहार में जहानाबाद शहर के पूर्वी छोर पर एक बाईपास रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता ।

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद (बिहार) में एन.एच. 83 मई गुमटी से पूरब कुमडीहा होते पिंजोरा रोड से कनक बिगहा नहर होते बरबरा एनएच 110 से पश्चिमी चमड़ी गोदाम ऐनमा मोड़ से अलगना होते पश्चिम एन एच 83 में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के पास मिल जाता है। जहानाबाद पूरब से बाइपास बनने पर जहानाबाद जिला का पूर्बी क्षेत्र, वाणावर, नालंदा जिला का बिहार शरीफ, पर्यटन स्थल नालंदा, राजगीर, पावापुरी, ककोलता, गया जिला का अतरी विधानसभा क्षेत्र इत्यादि स्थानों पर आने जाने में काफी सुविधा होगी। मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है कि लाखों लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जहानाबाद शहर के पूरब से होते हुए एक बाइपास पथ का निर्माण कराया जाए।

(तेईस) ओडिशा राज्य को लंबित सब्सिडी की राशि की अदायगी और राज्य से पारबॉइल्ड चावल उठाए जाने के बारे में ।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): ओडिशा राज्य, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्य में धान की खरीद करता है और ऋण लेकर किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का भुगतान करता है। केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के माध्यम से, केंद्रीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) पूल के लिए राज्य से अतिरिक्त चावल उठाती है और राजसहायता राशि की अग्रिम अदायगी करती है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान करने के लिए इस राजसहायता राशि का भुगतान प्रत्येक तिमाही के पहले माह में किया जाना है। वर्तमान में, केंद्र सरकार पर राजसहायता का लगभग 6,040 करोड़ रुपये बकाया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, ओडिशा सरकार ने 82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो चावल के मामले में 55 लाख मीट्रिक टन होगा, जो लगभग, 'पारबॉइल्ड चावल' होंगे। 55 लाख मीट्रिक टन चावल में से लगभग 24 लाख मीट्रिक टन चावल की खपत ओडिशा में होगी जबकि केंद्र सरकार को एफ.सी.आई. के माध्यम से समझौते के अनुसार शेष चावल का उठान करना चाहिए। हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक पत्र भेजकर कहा है कि वह पारबॉइल्ड चावल के उठान को मूल अनुमान के 50 प्रतिशत की सीमा तक सीमित करेगी और किसी भी अतिरिक्त चावल की प्रमात्रा को स्वीकार नहीं करेगी जो बड़े पैमाने पर किसानों के हित को प्रभावित करेगा । इसलिए, मैं सरकार से 6,040 करोड़ रुपये की लंबित राजसहायता राशि तुरंत जारी करने और भारतीय खाद्य निगम. द्वारा ओडिशा से 'पारबॉइल्ड चावल' के उठान को कम करने के निर्णय को वापस लेने का आग्रह करता हूं।

(चौबीस) गन्ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता ।

[हिन्दी]

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा का किसान भी कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। राज्य सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में तीन वर्ष से कोई बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसे में चीनी मिलें पिछली दरों पर ही गन्ने की खरीद कर रही है। वर्ष 2019-20 के सत्र में बहुत से किसानों को अब तक बकाए का भुगतान नहीं किया गया। पिछले सत्र में मेरठ जोन में 557 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों पर बाकी है। अगर चालू सत्र 2020-21 की बात करें तो अब तक केवल 20 फीसद गन्ना भुगतान ही चीनी मिलों ने किया है। इस सत्र में मेरठ जोन में किसान 1718 करोड़ रुपये का गन्ना चीनी मिलों को दे चुके हैं, लेकिन महज 354 करोड़ रुपये का भुगतान ही हो सका है। मेरी सरकार से मांग है कि गन्ना किसानों की बकाया राशि का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।

(पच्चीस) तेलंगाना में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरे जाने की आवश्यकता ।

[अनुवाद]

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी (चेवेल्ला): शिक्षा का मतलब किसी बच्चो को विचारों से भर देना ही नही होता, बल्कि छात्रों में ज्ञान के प्रति इच्छा पैदा करना होता है और यह शिक्षक ही होते हैं जो छात्रों में उस लौ-आंतरिक क्षमता को प्रज्ज्वलित करते हैं। बिल गेट्स ने ठीक ही कहा था कि प्रौद्योगिकी केवल एक उपकरण है। बच्चों को एक साथ मिलकर कार्य करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए शिक्षक अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, यह शिक्षक ही है, जो बदलाव लाते हैं, कक्षा नहीं। जहां तक शिक्षा प्रदान करने का प्रश्न है, हमारे केंद्रीय विद्यालय एक अलग पायदान पर खड़े हैं। परंतु केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों से छात्रों की ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया और शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ रहा हैं। तेलंगाना में 35 केंद्रीय विद्यालय हैं और शिक्षकों की स्वीकृत संख्या 1208 है। किंतु केवल 959 शिक्षक ही नियमित हैं अर्थात 249 रिक्तियां (25 प्रतिशत) हैं। कुछ रिक्तियाँ 'कॉन्ट्रैक्ट टीचरों' से भरी गई हैं जो नियमित शिक्षकों की तरह जवाबदेह नहीं हो सकते। इसलिए, मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तेलंगाना के केंद्रीय विद्यालय में नियमित आधार पर 249 शिक्षण रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(छब्बीस) राज्यों को जीएसटी मुआवजा राशि की अदायगी के बारे में ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): जब जी.एस.टी. की परिकल्पना की गई थी तो केंद्र ने राज्यों को जी.एस.टी. लागू होने के परिणामस्वरूप कर राजस्व के नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दिया था। जी.एस.टी. मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष राशि के कारण, अप्रैल 2020 से सभी राज्यों को जी.एस.टी. मुआवजा उपकर के अंतरण में विलम्ब हो रहा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य के लिए, (अप्रैल-जुलाई, 2020) के लिए देय जी.एस.टी मुआवजे की अनंतिम राशि 22,485 करोड़ रुपये थी। इसी अवधि के दौरान, सभी राज्यों को संयुक्त मुआवजा बकाया 1,51,365 करोड़ रुपये था। केंद्र द्वारा धन के अंतरण में इस प्रकार के विलम्ब से राज्यों की अपने कल्याण और विकास पर व्यय करने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित हो रही है, जिसमें कोविड-19 को नियंत्रण में रखना भी शामिल है। मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि सरकार राज्यों को जी.एस.टी मुआवजे का भुगतान करने की एक समय-सीमा विनिर्दिष्ट करे, और साथ ही, राज्यों को जल्द से जल्द बकाया धनराशि भी जारी की जाए।

(सत्ताईस) राष्ट्रीय आरोग्य नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता के बारे में ।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): केंद्रीय सरकार द्वारा दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की व्यापक योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता का वर्तमान प्रावधान पूर्ण रूप से अपर्याप्त है और उन सभी रोगियों, विशेषरूप से बच्चों के लिए बेमानी है, जिनके जीवन को खतरे में डालने वाली चिकित्सीय स्थिति के लिए बार-बार 'इनफ्यूजन थेरेपी' करने की आवश्यकता होती है। कई राज्यों में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र के 8 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी जान चली गई है क्योंकि दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए पिछली राष्ट्रीय नीति 2017 को स्थगित रखा गया है, और नई नीति को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना और अधिसूचित किया जाना शेष है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दी गई है, कि यह सरकार का दायित्व है कि वह समूह 3 विकारों (दुर्लभ, आनुवंशिक रोगों) से पीड़ित रोगियों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए । इन रोगियों और सहायता समितियों के सभी अनुरोधों और याचिकाओं के बावजूद, सरकार ने अब तक उन्हें सहायता प्रदान करने के प्रति उदासीन रवैया दिखाया है।

———

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह सदन चर्चा, वाद-विवाद और संवाद के लिए है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको देश की जनता ने यहाँ इसलिए चुनकर भेजा है कि आप चर्चा, संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं पुन: आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए। यह सदन नारेबाजी करने और तख्तियाँ दिखाने के लिए नहीं है। यह सदन चर्चा, वाद-विवाद के लिए है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। आप जितनी जोर से नारे लगा रहे हैं, आप अपनी सीट पर जाकर उतनी जोर से बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही सात बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

…(व्यवधान)

अपराह्न 5.11 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा सायं सात बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सायं 7.00 बजे

लोक सभा सायं सात बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

…(व्यवधान)

इस समय, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, सुश्री एस. जोतिमणि और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपनी-अपनी सीट पर जाकर विराजें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप सीट पर बैठेंगे, तो मैं आपको चर्चा करने की अनुमति दूंगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सीट पर जाकर बैठें।

…(व्यवधान)

सायं 7.01 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

[अनुवाद]

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (हुगली): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए: -

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 29 जनवरी, 2021 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।'

[हिन्दी]

मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी सरकार के सारे अच्छे कामों का उल्लेख किया। उनके ही दिखाए हुए पथ पर चलकर हमारा यह सदन इस नए दशक में प्रवेश कर रहा है।

[अनुवाद]

नेताजी ने कहा था, “भारत के भविष्य में हमेशा अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भारत को बेड़ियों में जकड़ कर रख सके। भारत आज़ाद होगा और वह भी बहुत जल्द”। [हिन्दी] आज नेताजी के विचार हर दिन हमारी रगों में दौड़ते हैं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी की 125वीं जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को उनके जन्मदिन को *पराक्रम दिवस* के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन को देशभक्ति और एकता की भावना के दिन के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में उनकी 125वीं जयंती मनाई। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि इस ऐतिहासिक क्षण को गवाह बनी। नेताजी ने कहा है कि एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद स्वयं को हजारों लोगों के रूप में अवतार लेगा ।

[हिन्दी]

मैं इसी सदन के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करना चाहती हूं कि जिनके निरंतर परिश्रम से हमारी संसद ही नहीं, पूरे देश को प्रेरणा मिलती है।

लोकतंत्र अभिमान है मेरा, लोकतंत्र सम्मान,

सात वर्ष में किया बस हमने, लोकतंत्र का गुणगान।

[अनुवाद]

[3] *रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा,

होइस्टिंग हाई द फ्लैग अपान द स्काई- पियर्स्ड चैरियट

देयर ही इज, देयर ही इज आउट देयर,

कम फास्ट, नीड टू पुल द चैरियट रोप

व्हाई आर यू सिटिंग इनसाइड यूअर रूम?

प्लंज इंटू द क्राउड

---

[3].....* मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के इस भाग का अंग्रेजी अनुवाद।

ओक्यूपाई यूअर प्लेस एनीहाव यू कैन।

[हिन्दी]

वर्ष 2021 एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष हम आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मैं, उस आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी देने वाले उन लोगों को इस सदन के माध्यम से प्रणाम करती हूं। हमारा देश एक ऐसा देश है, जो इतनी भाषाओं से, इतने राज्यों से, इतने धर्मों से, इतने समुदायों से, इतनी विचारधाराओं से विविध तो है, लेकिन हमारे संविधान से और हमारे सदन से जुड़ा हुआ है। मैं उस संविधान को प्रणाम करती हूं।

[अनुवाद]

*डिफरेंट लैंग्वेजेज, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट एटायर,

सी दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी

वॉचिंग द राइस आफ द इंडियन नेशन

पीपल विल बी सरप्राइज्ड,

पीपल विल बी सरप्राइज्ड*

[हिन्दी] इस महामारी के समय में हमारे सभी सांसदगण इस देश की उन्नति के लिए यहां आए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूं।...(व्यवधान) बीता हुआ वर्ष 2020 बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा है, क्योंकि चीन से आया यह नया रोग एक महामारी बन गया और इस वजह से पूरी दुनिया में जीवन और जीविका का बहुत नुकसान हुआ। कोविड-19 से जंग लड़ना सिखाने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस, जो हमारे लिए अपने परिवार को खतरे में डालकर देश के लिए भगवान के रूप में आए ...(व्यवधान)

---

[1].....* मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के इस भाग का अंग्रेजी अनुवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया आप लोग अपने-अपने आसन पर विराजें। मैं सभी लोगों को पर्याप्त समय पर और पर्याप्त अवसर दूंगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : हमारी एक माननीय सदस्या अपना वक्तव्य दे रही हैं, अपनी बात कह रही हैं। आपको भी मैं उतना ही पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जब हम धन्यवाद प्रस्ताव लाकर चर्चा करते हैं तो उसमें शोर-शराबा नहीं होता है। यह एक परम्परा है। …(व्यवधान) [अनुवाद] परम्परा यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय ...(*व्यवधान*) ऐसा नहीं होगा ...(*व्यवधान*) व्यवधान नहीं होना चाहिए ...(*व्यवधान*) मेरी उनसे अपील है ...(*व्यवधान*) आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप किसानों पर कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं...(*व्यवधान*) सरकार हर बात सुनने को तैयार है...(*व्यवधान*) मैं उनसे अपील करता हूं कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और सभा की कार्यवाही में भाग लें...(*व्यवधान*) जब हम धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं तो सभा को बाधित करना उचित नहीं है...(*व्यवधान*) यह उचित नहीं है। मैं, उनसे अपील करता हूं ...(*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, अब स्थिति यह है कि दुष्ट लोग पवित्र ग्रंथों से उद्धरण दे रहे हैं...(*व्यवधान*) [हिन्दी] आप लोगों ने खुद प्रेजिडेंशियल एड्रेस पर चर्चा के समय में सभा को चलने नहीं दिया था।…(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी: पिछली बार कोई व्यवधान नहीं हुआ था ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप आसन को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पूर्ण रूप से पर्याप्त समय पर और पर्याप्त अवसर दूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 3 फरवरी, 2021 के दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 7.08 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 3 फरवरी, 2021 / 14 माघ, 1942 (शक) के अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित